न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 01/2008

1 सदा कंवर पुत्री बक्सू सिंह।
2 धन कंवर पुत्री बक्सू सिंह।
3 सरताज कंवर पुत्री बक्सू सिंह।
4 प्रेम पुत्र बक्सू सिंह।
5 सन्तोष पुत्र बक्सू सिंह।
6 दशरथ कुमारी पुत्री बक्सू सिंह।
7 सुमन पुत्री बक्सू सिंह।
8 नरेन्द्र सिंह पुत्र बक्सू सिंह।
9 वन्दना पुत्री बक्सू सिंह।
10 प्रताप सिंह पुत्र बक्सू सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 फूलाराम (फौत)।
1/1 मु0 सुरजी बेवा फूलाराम।
1/2 माडूराम पुत्र फूलाराम।
1/3 शशिराम पुत्र फूलाराम।
1/4 हरिसिंह पुत्र फूलाराम।
1/5 नेतराम पुत्र फूलाराम समस्त जाति जाटान निवासीगण ढ़ाणी भावरियों की भूदोली रोड़ नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/6 मु. बिदामी पुत्री फूलाराम पत्नी शीशराम।
1/7 मु. नानची पुत्री फूलाराम पत्नी करतार सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1/8 मु. बायली पुत्री फूलाराम पत्नी राजू समस्त जाति जाटान निवासीगण ढ़ाणी तेतरवालों की तन सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
1/9 मु. सरोज पुत्री फूलाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी तेतरवालों की तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 प्रभू पुत्र मूला।
3 कालूराम पुत्र मूला।
4 बनवारी पुत्र मूला समस्त जाति जाटान निवासीगण ढ़ाणी भावरियों की तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 सोनी पत्नी नारायण बराला पुत्री मूलाराम निवासी गोरधनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 मांगू पुत्र खींवा (मृत)।
7 सांवल पुत्र खींवा (मृत) समस्त जाति जाटान निवासीगण ढ़ाणी भावरियों की तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 रिछपाल (फौत)।
8/1 घीसाराम पुत्र रिछपाल।
8/1/1 मु. सजना देवी बेवा घीसाराम।
8/1/2 ताराचन्द पुत्र घीसाराम।
8/1/3 रणजीत पुत्र घीसाराम।
8/1/4 मु. प्रेम देवी पुत्री घीसाराम पत्नी संदीप समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी राघवदास वाली तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8/2 सांवलराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी राघवदास वाली तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8/3 प्रभाती पुत्री रिछपाल पत्नी ज्यानीराम जाति जाट निवासी कारोता तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
8/4 संज्या देवी पुत्री रिछपाल पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8/5 नोजी देवी पत्नी भगवाना।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8/6 प्रभु पुत्र भगवाना।
8/7 अशोक पुत्र भगवाना।
8/8 रामजीलाल पुत्र भगवाना समस्त जाति जाटान निवासीगण ढ़ाणी राघवदास वाली तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8/9 सावित्री पत्नी रामनिवास।
8/10 संदीप पुत्र रामनिवास।
8/11 पिंकी पुत्री रामनिवास नाबालिगान जरिये संरक्षिका निज माता सावित्री पत्नी रामनिवास समस्त जाति जाटान निवासीगण ढ़ाणी राघवदास वाली तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 हरिद्वारी पुत्र गुमाना जाति जाट निवासी ढ़ाणी भावरियों की तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 किशना पुत्र चन्द्रा (मृत) जाति हरिजन निवासी ढ़ाणी भावरियों की तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 कालूराम पुत्र मूला जाति जाट निवासी ढ़ाण भावरियों की तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांकित 31.10.2007 जिसके अनुसार अपीलांटस का दावा अनुवानी मु. जीत कंवर वगैरह बनाम फूलाराम वगैरह मुकदमा संख्या 29/2003 खारिज किया गया

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

उप खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 23.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 29/2003 मे पारित निर्णय दिनांक 31.10.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता बक्सूसिंह द्वारा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्व एक दावा विचारण न्यायालय के समक्ष बाबत बेदखली एवं हर्जा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया। दौराने दावा बक्सूसिंह की मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर अपीलांट्स को दावा में बतौर कायम मुकामान बक्सूसिंह पक्षकार संयोजित किया गया। वादी बक्सूसिंह ने स्वयं को कृषि भूमियों खसरा नम्बर 647 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 648 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 649 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 650 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का खातेदार काश्तकार अंकित करते हुए प्रस्तुत किया। उक्त कृषि भूमियों को वादी बक्सूसिंह ने मिति आषाढ़ सुदी 8 संवत 2009 तद्नुसार दिनांक 15.06.1952 को 12 माह के लिए 85 मण अनाज के एवं में जिसका पुख्ता 36 मण 22 सेव होता है, प्रतिवादी मूला पुत्र नोपा, मांगू पुत्र खींवा, सांवल पुत्र खींवा एवं रिछपाल पुत्र भेभा तथा गुमाना को काश्त करने के लिए बताया था। इस सम्बंध में उपरोक्त पांचों व्यक्तियों ने एक लिखावट हीरालाल से लिखावाकर अपने दस्तखत करके वादी बक्सूसिंह को दे दी थी। जमीन खसरा नम्बर 651 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके तन ग्राम नीमकाथाना को वादी बक्सूसिंह स्वंय काश्त करता था। बाद में पड़त रहने पर उसकी गिरदावरी नहीं बनी। प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पिता गुमाना ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादग्रस्त कृषि भूमियों को 12 माह के लिए 82.5 मण अनाज के एवज में मिति आषाढ़ संवत 2010 से आषाढ़ संवत 2011 तक के लिए काश्त करने के लिए ली। इस इजारा का अनाज मांगू, गुमाना, रिछपाल 31 मण, मूला 51.5 मण अदा करना तय किया जिसमें बाजरा 16 मण एवं गेहूं 66.5 मण देना तय किया। इस सम्बंध में एक लिखावट रामेश्वर से लिखवाकर उस पर प्रतिवादी मूला, मांगू, रिछपाल एंव गुमाना ने अपने दस्तखत व सॉवला ने निशानी अंगूठस्त करे वादी बक्सूसिंह को सम्भला दी थी। प्रतिवादीगण इसी अनुसार हर साल इजाजत लेकर काश्त करते रहे है। प्रतिवादीगण व गुमाना ने अपने आप को खातेदार घोषित करवाने हेतु दावा संख्या 16/69 (बी.टी.न.) दिनांक 02.01.1962 को प्रस्तुत किया। ए.सी.एम. नीमकाथाना द्वारा दिनांक 15.12.1969 को उक्त दावा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की गई, जो दिनांक 13.04.1978 को खारिज की गई। इस प्रकार वादी बक्सूसिंह वादग्रस्त कृषि भूमियों का खातेदार माना गया। शुरू में विवादग्रस्त भूमियां मूला, मांगू, रिछपाल, सांवल एवं गुमाना को 12 माह के लिए काश्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद मूला, मांगू, रिछपाल व गुमाना को काश्त के लिए 12 माह के लिए इजारा पर दी गई थी। जिन्होंने सांवल व किशना को वादी बक्सूसिंह की इजाजत के बिना काश्त में शामिल कर लिया तथा जमीन को चाही से बारानी बना दिया तथा कूप की नाल को तोड़ दिया। बाद में प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गयी और उन्होंने वादी बक्सूसिंह के वैध खातेदारी अधिकारों को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया तथा खसरा नम्बर 647 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का दौराने दावा पटवारी से साजिश करके अनाधिकृत रूप से कानून के खिलाफ नामान्तकरण बिना वादी बक्सूसिंह की सुनवाई किए तथा बना उसे सूचना दिये, प्रतिवादी मूला ने अपने पक्ष में दिनांक 06.06.1962 को तस्दीक करवा लिया जिसकी संख्या 145 है। इस तरह का नामान्तकरण अपने पक्ष में करवाने का मूला को कोई अधिकारी नही था। नामान्तकरण गलत, अवैध खिलाफ कानून एवं बिना अधिकार के तस्दीक किया गया है। बाद में प्रतिवादी मूला ने कृषि भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 647 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पुख्ता वाके तन ग्राम नीमकाथाना का एक अवैध व अनाधिकृत दान पत्र दिनांक 23.01.1982 को अपने पुत्र कालूराम के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवा लिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। बक्सूसिंह वादी द्वारा दावा बाबत बेदखली व हर्जा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाद में दौरान दावा दान पत्र दिनांकित 23.01.1982 के निष्पादित एवं पंजीकृत हो जाने के बाद मूल दावा में संशोधन किया जाकर उक्त दान पत्र को भी अवैध, गलत, अनाधिकृत घोषित करवाने के लिए वाद पत्र में सहायता चाही गई। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2007 को अपीलांट्स/वादीगण का दावा कानून के प्रावधानों के विपरित कतई गलत रूप से खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि दिनांक 15.10.1955 को बक्सूसिंह पुत्र लालसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। दिनांक 15.06.1952 को मूला, सांवर, रिछपाल, गुमाना नामक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए काश्त पर बताया जाना बताया गया है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में ए.सी.एम. नीमकाथाना के यहां मूला वगैराह ने दिनांक 02.01.1962 को दावा संख्या 16/1969 घोषणा हेतु प्रस्तुत किया। दिनांक 15.12.1969 को यह दावा खारिज कर दिया गया। इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 13.04.1978 को खारिज कर दी गई। दौराने दावा मूला पुत्र नोपा ने नायब तहसीलदार नीमकाथाना से दिनांक 01.06.1962 को नामान्तकरण संख्या 145 धारा 19 मे पारित करवा लिया। इस नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर में पेश की गई जो खारिज की गई। इसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में की गई, जो स्वीकार हुई। इसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी की गई। जिसमें प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर को रिमाण्ड किया गया। दिनांक 25. 10.2002 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर ने अपील स्वीकार की। यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल तक चला जिसमें नामान्तकरण संख्या 145 को खारिज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक तथ्यों का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन किये बिना, कारण अंकित किये बिना, निर्णय में तनकीयात का उल्लेख किये बिना धारा 19 की गलत व्याख्या कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में ए.आई.आर. 1986 (कलकता) पेज 430, ए.आई.आर. 2001 (हिमाचल प्रदेश) पेज 18, ए.आई. आर. 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 736 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा, बेदखली, मुआवजा व स्थाई निषेधाज्ञा का था। वादीगण खातेदार नही थे विवादित भूमि पर 1952 से रेस्पोडेंट का कब्जा है। रेस्पोडेंट के पक्ष में निस्पादित दानपत्र को सिविल न्यायालय में कभी चुनौती नही दी है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट संख्या 6771/2021 विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा कथित निर्णय विचारण न्यायालय के विरूद्व प्रस्तुत नही किये गये है। तनकीवार निर्णय पारित नही करने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई असर नही होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर 5 तनकीयात कायम की। विचाराधीन निर्णय मे विचारण न्यायालय ने वादी प्रतिवादीगण की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि विवादित भूमि से सम्बंधित नामान्तकरण संख्या 145 के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित/निस्तारित हुये है। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 6771/2021 लम्बित होने का कथन वर वक्त बहस आया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष द्वारा सम्पूर्ण तथ्य/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। दौराने अपील पक्षकारों द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी एवं फर्द के साथ दस्तावेजात अपील में प्रस्तुत किये गये है। इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त योग्य पाया जाता है एवं अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर